महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

हिंदी शिक्षण अधिगम केंद्र

द्वारा

नयी शिक्षा नीति के प्रारूप के भाषा-विषयक प्रावधानों पर रचनात्मक सुझाव

विषय पर

राष्ट्रीय संवाद

दिनांक: 16-17 जुलाई 2019

प्रतिवेदन/रिपोर्ट

हिंदी शिक्षण अधिगम केंद्र, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा शिक्षा नीति-2019 के प्रारूप के भाषा विषयक प्रावधानों पर रचनात्मक सुझाव हेतु 16-17 जुलाई को विश्वविद्यालय के महादेवी वर्मा सभागार में दो दिवसीय राष्ट्रीय संवाद का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय संवाद में देश भर से कई महत्वपूर्ण विद्वान और विशेषज्ञ सम्मिलित हुए। यह संवाद कुल चार सत्रों में संपन्न हुआ।

पहला सत्र: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप के भाषा संबंधी प्रावधानों पर विचार

प्रथम सत्र की अध्यक्षता माननीय कुलपति रजनीश कुमार शुक्ल ने की। मुख्य वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र की उपस्थित और वक्तव्य से सत्र की गरिमा बढ़ी। और विशिष्ट वक्ता के रूप में बाबा साहब भीम राव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलाधिपति डॉ. प्रकाश बरतूनिया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य प्रो. किरन हजारिका के वक्तव्यों से विषय को और विस्तार मिला।

कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए भाषा विद्यापीठ के अधिष्ठाता **प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल** ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुविचारित भी है और सुव्यवस्थित भी। उन्होंने कहा कि तीन-चार बातें इस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं— त्रिभाषा का सवाल, मातृभाषा में शिक्षा का सवाल और आठवीं अनुसूची का सवाल। इसके साथ चौथा सवाल, जो मैं समझ पाता हूँ, वह लिपि का सवाल है। लिपि सिर्फ 'टेक्नोलॉजी' है। भाषा को लिपि से परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक पाँचवीं बात मैं निवेदन करना

चाहता हूँ— वह भारतीय भाषाओं के संदर्भ का है। इस संदर्भ में हमें इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। अगर हम हिंदी-क्षेत्र पर नजर डालें तो पता चलेगा कि भारतीय भाषा की समझ पश्चिमी भाषा विषयक समझ पर आधारित है। जिसे रचने में स प्रभावी भूमिका डॉ ग्रीयर्सन कि है। हमें ग्रीयर्सन की संकल्पनाओं पर पूर्णविचार करना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे समाज में मूलतः द्वि-भाषा फार्मूला ही चल सकता है। एक जिसे छात्र अपने घर में बोलता है। दूसरे, जिसमें उसे शिक्षा दी जाए। त्रिभाषा सूत्र व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने अंत में एक और बात जोड़ी कि जो शब्दावली आयोग बने और जो कोश निर्मित हुए, उनका मूल्यांकन हो।

कार्यक्रम की प्रस्तावना के बाद मुख्य वक्ता **प्रो. गिरीश्वर मिश्र** ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि शिक्षा नीति 2019 एक विशेष दृष्टिकोण से तैयार की गई है। इस दस्तावेज़ में खुलकर हमारी वर्तमान शिक्षा की अवस्था और संभावनाओं पर विचार किया गया है। यदि आप इसके संकल्प को देखें तो यह कहता है— कि भारत विकास की देहरी पर खड़ा है और उसके लिए नई शिक्षा व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। उस संभावित भारत के लिए हमें मानव संसाधन तैयार करना होगा। इसके लिए सबसे बड़ी तैयारी शिक्षा के क्षेत्र में ही होगी। करोड़ों की संख्या में छात्र होंगे जिन्हें आप को शिक्षित-प्रशिक्षित करना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए पूरी संरचना में रद्दोबदल की जरूरत को यह शिक्षा नीति समझती है। इसके लिए नई क्षमताओं से लैस शिक्षकों को भी तैयार करने का भी प्रश्न उठेगा, यह रिपोर्ट इस संभावित प्रश्न पर भी विचार करती है। यह रिपोर्ट शिक्षा के क्षेत्र में तमाम तरह के 'फ़ैकल्टीज' की मजबूत बाड़ेबंदी को तोड़कर उनमें आवाजाही अंत:अनुशासनिक अध्ययन पर बल देती है। कोई छात्र विज्ञान के साथ साहित्य भी पढ़ सकता है। कोई छात्र गणित के साथ चित्र कला और संगीत पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता। यह उनकी रुचियों को अनेक क्षेत्रों में विकासित होने का विकल्प देगी। इसके लिए संरचनात्मक परिवर्तन की जरूरत पर भी यह रिपोर्ट बल देती है।

शिक्षा के संपादन को स्थानीय जरूरतों से भी जोड़ा जाना चाहिए जो नए तरह की जरूरतें पैदा हुई हैं, उसके लिए नए तरह का कौशल विकास जरूरी है। इसके लिए शिक्षण और नई तकनीकि के समंजन पर ध्यान देना होगा। इस शिक्षा नीति में मूल्याँकन की वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया गया है। इस तरह शिक्षा नीति 2019 शिक्षा में संपूर्ण क्रांति का दस्तावेज़ है। यह पूरी शिक्षा नीति ज्ञान समाज के निर्माण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम सिर्फ तकनीकी मनुष्य का निर्माण करना चाहते हैं या मूल्य केंद्रित संपूर्ण मनुष्य का ? शिक्षा नीति में गांधी का कहीं नाम

नहीं आया है। लेकिन अगर हम संपूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए शिक्षा पर विचार करेंगे तो हमें गांधी और टैगोर की शिक्षा नीति पर विचार करना होगा।

उन्होंने शिक्षा नीति के भाषा विषयक प्रावधान पर बोलते हुए कहा कि सबसे समर्थ भाषा बच्चे की मातृभाषा होती है। मातृ भाषा आधारभूत भाषा है। यदि मातृभाषा का शिक्षा के माध्यम के रूप में किया जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। मातृ भाषा के स्थान पर अन्य भाषा के उपयोग से सीखने की प्रक्रिया कठिन हो जाती है। दूसरे, भाषा सिर्फ अर्थ नहीं है। उसका जुड़ाव संस्कृति और संस्कार से है। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो। इसलिए जिस प्रदेश की जो भाषा है, उसी में बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने पूरे देश के लिए एक संपर्क भाषा पर बल दिया। इसका राजनीतिक लाभ-हानि अपनी जगह है, लेकिन यह विचारणीय है। इसके साथ हर बच्चे के लिए अपने देश के पारंपरिक ज्ञान का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए।

विशिष्ट वक्ता **डॉ. प्रकाश बरतूनिया** ने शिक्षा नीति और उसके भाषा विषयक प्रावधानों पर बोलते हुए कहा कि तीसरी-चौथी तक मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव पर बल दिया और कहा कि स्कूल में देश-गौरव की शिक्षा जरूर हो। स्कूल में आपदाओं से बचाव की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें और तैयार रहना होगा। आपदा प्रबंधन की शिक्षा को गंभीरता से लेना होगा। शिक्षा में त्रिभाषा के बजाय द्विभाषा ठीक है। त्रिभाषा में अंग्रेजी सार्वभौमिक भाषा बन जाएगी। इसलिए हमें इसे समझना चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य और सत्र के विशिष्ट वक्ता **प्रो. किरन हजारिका** ने कहा कि शिक्षा का यह प्रारूप भारतीय संविधान के सार को लेकर विकसित होने के साथ सामयिक प्रासंगिकता को भी ध्यान में रखती है। यह शिक्षा को लिबरल एजूकेशन की तरफ ले जाती है। प्रो॰ हजारिका ने भी त्रिभाषा की दिक़्क़तों की तरफ ध्यान दिलाया और द्विभाषा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अंग्रेजी का विकल्प देंगे तो हिंदी फिर छूट जाएगी, कारण कि लोग हिंदी चुनेंगे ही नहीं। उन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने अपनी बातों को पूर्वोत्तर के अनुभवों से पुष्ट करते हुए बल दिया कि हमें हर विषय की अध्ययन सामाग्री को हिंदी में उपलब्ध करवाना होगा, उसी से हिंदी का विकास संभव है।

सत्र के अध्यक्षीय उद्बोधन में माननीय कुलपति **प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल** ने कहा कि यह शिक्षा नीति का प्रारूप है, नीति नहीं। इस प्रारूप पर सबका सुझाव लेने के प्रयास हो रहा है, ताकि समग्र समाज की आकांक्षाओं को शामिल किया जा सके। इस तरह यह प्रारूप अपने में एक 'विजन', 'मिशन' और 'प्लानिंग' भी है। शिक्षा पर बात करते हुए भाषा एक केंद्रीय विषय बन जाती है। यह प्रारूप में भी है। इसी संदर्भ में त्रिभाषा नीति का विचार आया था। यह उपयोगी है, इसलिए इसे इस नए प्रारूप में भी आगे बढ़ाया गया है। कुछ लोगों को इसमें सांस्कृतिक मूल्य अनुपस्थित दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि अलग से इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन संपूर्णता में देखने से पता चलेगा कि यह प्रारूप में हर जगह विन्यस्त हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भारत में हिंदी का राष्ट्रीय प्रसार संभव नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है उन्हें दुनिया में 1950 के बाद उभरे राष्ट्रों का मूल्यांकन करना चाहिए। दुनिया के तमाम देशों ने किसी एक भाषा को अपनाया और कुछ ही वर्षों में वह सामान्य व्यवहार की भाषा बन गयी। बिना एक सामान्य भाषा के कोई राष्ट्र स्थिर नहीं रह सकता। जिन लोगों के ध्यान में यह परिदृश्य नहीं होता, उन्हें अंग्रेजी अनिवार्य लगती है। प्रत्येक भाषा में उच्च शिक्षा होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है अध्ययन सामग्री। यह शिक्षा नीति इस संदर्भ में बहुत सजग है। इसके साथ संस्कृत के साथ सबका परिचय हो सके, इसकी भी चिंता इस नीति में है। इस सत्र में अतिथियों का स्वागत साहित्य विधापीठ की अधिष्ठाता प्रीति सागर ने किया। निदेशक प्रो. कृष्ण कुमार सिंह ने अतिथियों और विशेषज्ञों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। और सत्र-संयोजन किया हिंदी शिक्षण अधिगम केंद्र के संयुक्त निदेशक प्रो. अवधेश कुमार ने।

द्वितीय सत्र: भाषा संबंधी प्रावधानों पर विषय विशेषज्ञों के व्यक्तिगत विचार।

इस सत्र की अध्यक्षता प्रख्यात भाषाविद **प्रो. उमाशंकर उपाध्याय** ने की तथा संचालन **डॉ. नरेंद्र मिश्र** ने किया। विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रो. श्रीनिवास पाण्डेय, डॉ. ओम निश्चल, डॉ. सत्य प्रकाश पाल, डॉ. बिनय राजाराम डॉ. प्रकाश बरतूनीय और प्रो. किरन हजारिका सत्र में उपस्थित रहे।

डॉ. सत्य प्रकाश पाल ने अरुणाचल की प्रमुख जनजातियों और उनकी भाषाओं के संदर्भ में अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इन जनजातियों में संवाद की भाषा हिंदी ही है। इन जनजातियों की अपनी कोई लिपि नहीं है। लेकिन यहाँ ईसाइयत का प्रभाव बढ़ रहा है। यह चिंता का विषय है। सरकार को चाहिए कि इनका अध्येयता कोश तैयार कराए।

वरिष्ठ साहित्यकार **ओम निश्चल** ने कहा कि अगर किसी राष्ट्र को विकसित देखना चाहते हैं तो उसे जोड़ने वाली कोई भाषा चाहिए ही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसकी चिंता होनी चाहिए। राजभाषा नीति में हिंदी के प्रसार के लिए अपार संसाधन है, लेकिन हिंदी के विकास में उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। हिंदी दरअसल नौकरशाहों की प्राथमिकता में ही नहीं है। राजभाषा नीति में कहा गया था कि हम ऐसी भाषा का विकास करें जो हमारी सामासिक संस्कृति को बल दे, लेकिन हमने शब्दकोशों आदि के द्वारा जिस भाषा का विकास किया उसकी दिशा कुछ और ही है। इसलिए राजभाषा नीति पूर्णतः सफल नहीं है। मातृभाषा में शिक्षा से किसी का विरोध नहीं है। अगर हाईस्कूल तक किसी ने हिंदी का ज्ञान पा लिया है, तो माना जाना चाहिए, कि उसे कार्यसाधक ज्ञान है। इसलिए कार्यसाधक ज्ञान के लिए हाईस्कूल स्तर तक हिंदी को अनिवार्य होना चाहिए। इससे एक मानव संसाधन तैयार होगा, जो हिंदी में प्रवीण होगा। उन्होने भी त्रिभाषा के बजाय द्विभाषा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के लोगों को समझाया जाना चाहिए कि उनकी भाषाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। दूसरे इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में कड़ाई से लागू करना होगा। और इसके साथ अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी अवसर बढ़ाने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जो विरोध है वह जनता की तरफ से नहीं है, वह बाहर से आरोपित है। उन्होने कहा कि द्रविड़ भाषाओं को देवनागरी में लिखा जाए तो समझने में आसानी होगी। इसके साथ हर उत्तर भारतीय को एक द्रविड़ भाषा सीखनी चाहिए और जो संस्कृत भाषा पढ़ सकता है, वह कोई दक्षिणी भाषा भी आसानी से सीख सकता है, इसलिए यह इतना कठिन भी नहीं है।

डॉ॰ बिनय राजाराम ने कहा कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का कोई विरोध नहीं है, बल्कि यह कुछ लोगों का शिगूफ़ा भर है। आज हिंदी वैश्विक हो रही है। हमें विकासात्मक रवैया अपनाना चाहिए। हम चाहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। आज तो समय भी अनुकूल है। हिंदी आज अंग्रेजी से बड़ी रेखा बनती जा रही है। आज यह रोजगार की भाषा बनती जा रही है। लेकिन, इसे रोजगारपरक बनाने के लिए और प्रयास करना होगा। यह समय बजारवाद का है, हिंदी को अभी इसके अनुकूल बनाने के लिए और काम करना होगा। हमें सरल और सहज पाठ्यक्रम निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। हमें विज्ञान और तकनीक की पाठ्य सामाग्री का निर्माण करना होगा।

प्रो. श्रीनिवास पाण्डेय ने कहा कि पहले हमें लक्ष्य तय करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि इसका साधन क्या है। हमारी शिक्षा को व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्त्व का निर्माण करना होगा। हम भाग्यशाली हैं, कि हमारी परंपरा इतनी संपन्न है, लेकिन इसे छोड़कर सब चला जाएगा। हमें चाहिए कि हम अपनी

परंपरा का नवीनीकरण करते चलें। उन्होंने कहा कि आज वही भाषा जिंदा रहेगी जो मनुष्य की सम्पूर्ण अवश्यकताओं को पूरा करेगी। अवश्यकता का मतलब पेट, हृदय और बुद्धि सबकी अवश्यकता है। पेट का मतलब हुआ रोजगार। हृदय का मतलब हुआ कला और बुद्धि का मतलब ज्ञान-विज्ञान से है। इसलिए इसे तकनीकि, विज्ञान, कला और बाजार से एक साथ जुड़ना होगा। प्रो॰ पाण्डेय का वक्तव्य अनुभव पुष्ट और सहज प्रभावी था।

प्रो॰ उमाशंकर उपाध्याय ने कहा कि त्रिभाषा नीति के स्थान पर द्विभाषा नीति लागू की जाए। अष्टम अनुसूची लगभग निरर्थक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ग्रियर्सन की बोली विषयक समझ पर पुनर्विचार करना होगा। मातृभाषा के बजाय घर की भाषा कहना ज्यादा ठीक है। शिक्षा का माध्यम प्रांतीय भाषाओं को बनाना चाहिए। अनुवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए और हर राजकीय कार्य मूलतः हिंदी में हो और जरूरत पड़ने पर उसका अंग्रेजी में अनुवाद हो। हिंदी को फिल्म और रंगमंच से जोड़ा जाए। हिंदी जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए दिनों-दिन उसका विरोध कमजोर पड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रांतीय भाषाओं को बराबर का महत्त्व दीजिए, विरोध कम होता जाएगा।

इस सत्र का संचालन **डॉ॰ नरेंद्र मिश्र** ने किया और विविध विद्वानों के विचारों के माध्यम से अपना विचार व्यक्त किया। उन्होने स्वामी विवेकानंद, गांधी, लोहिया, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, अभिमन्यु अनत के हवाले से कहा कि हमें अपनी हिंदी पर गर्व होना चाहिए और उसके विस्तार के लिए आत्मबल और इच्छाशक्ति का परिचय देना चाहिए।

तृतीय सत्र: राष्ट्रीय संवाद में आए सुझावों का बिंदुवार प्रलेखन

इस सत्र में विषय विशेषज्ञ और विद्वानों ने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की-

1. शिक्षा मातृभाषा या घर की भाषा में ही होनी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा से ही हम मौलिकता, स्वदेश गौरव और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं।
2. हिंदी को संपर्क भाषा बनाने के लिए और उसकी राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इसे ग्यारहवीं(5+3+3) तक अनिवार्यतः पढ़ाया जाना चाहिए।
3. भारत बहुभाषिक देश है। इसकी बहुत सी भाषाएँ संस्कृत जितनी पुरानी हैं। अतः त्रिभाषा सूत्र भारतीय भाषाओं के विकास के लिए उपयोगी होगा।

4. त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन में भाषाओं के क्रम पर विचार करते हुए विद्वानों ने हिंदी को प्रथम स्थान पर रखते हुए निम्नलिखित क्रम निर्धारित किया-
   पहली—हिंदी /संपर्क भाषा –(5+3+3- 11वीं तक)
   दूसरी—घर की भाषा /मातृभाषा (हिंदीतर)
   तीसरी—कोई एक विदेशी भाषा/अंग्रेजी आदि
5. भाषाओं की आंतरिक और व्याकरणिक निकटता को ध्यान में रखते हुए सभी भाषाओं के लिए एक लिपि की दिशा में कार्य करना सुसंगत होगा।
6. हिंदी में कला, कौशल और जीवनोपयोगी व्यवसाय के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। इस तरह स्नातक (11+4) स्तर से ही साहित्य के साथ प्रयोजन मूलक भाषा पढ़ाई जानी चाहिए।
7. इस शिक्षा नीति को सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थानों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

चतुर्थ सत्र : भाषा संबंधी प्रावधानों पर चर्चा एवं वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतीकरण

इस सत्र की अध्यक्षता माननीय कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल ने की। मुख्य वक्ता के रूप में प्रो कुलदीप अग्निहोत्री (कुलपति, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय) और विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रो. गिरीश्वर मिश्र, प्रो. प्रकाश बरतूनीय, प्रो. किरन हजारिका उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत प्रो. प्रीति सागर और सत्र-संयोजन प्रो. अवधेश कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन हिंदी शिक्षण अधिगम केंद्र के निदेशक प्रो. कृष्ण कुमार सिंह ने किया।

प्रो. गिरीश्वर मिश्र ने कहा मातृभाषा में शिक्षा का न तो कोई विकल्प है और न ही बहस की कोई गुंजाइश। मौलिकता, सृजनात्मकता और स्वदेश-गौरव के लिए घर की भाषा में शिक्षण अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भारत बहुभाषिक देश है। अतः हिंदी को अन्य भाषाओं पर लादने के बजाय अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया जाना चाहिए।

प्रो. कुलदीप अग्निहोत्री ने कहा कि जब तक सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त नहीं होती तब तक भारतीय भाषाओं का उद्धार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भाषा का मामला शिक्षा नीति की आत्मा है। इस नीति में भाषा के मसले को द्वातीयक नहीं समझा जाना चाहिए और एक लोकतान्त्रिक समाज में शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार छात्र के पास होना चाहिए।

प्रो. प्रकाश बरतुनिया ने कहा कि बहुत सी भारतीय भाषाएँ ऐसी हैं जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं थी। आज ऐसी कुछ भाषाओं की लिपि रोमन बना दी गई है। यदि हम सजग नहीं हुए तो बची हुई भाषाओं के साथ भी यही होगा। हमें देवनागरी लिपि के लिए प्रयास करना चाहिए।

प्रो. किरन हजारिका ने कहा कि इस शिक्षा नीति की जो सबसे उल्लेखनीय बात है वह यह कि शताब्दियों में रचे गए औपनिवेशिक बोध से टकराते हुए एक गौरवबोध से भरे नागरिक की कल्पना करती है। इस नीति में भारतीय मूल्यों पर बल है और इससे भारतीय भाषाओं के विकास का मौका मिलेगा।

माननीय कुलपति **प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल** ने कहा कि यह पहला अवसर है, जब हम शिक्षा नीति के माध्यम से भाषा पर बात कर रहे हैं। समान्यतः हमनें अपनी शिक्षानीति को समान्यतः राजनीति की स्थिति के हवाले कर दिया है। शिक्षा को हमेशा ही समाजश्रित होना चाहिए। इससे यह स्वाश्रित, स्वावलंबी और प्रभावकारी होगी। उन्होंने कहा जब तक हम अंग्रेजी का माध्यम के रूप में उपयोग करते रहेंगे तब तक अनुसंधान और ज्ञान पर अमेरिका और योरोप का दबाव बना रहेगा। भारतीय भाषाओं के बीच अंतर्वस्तु की अनंत समानता है। यह दुनिया की किन्हीं और भाषाओं में नहीं है। अतः भारतीय भाषाओं का संबंध अन्य भाषाओं की नजर से नहीं देखा जा सकता है। भारतीय भाषाओं के बीच जो दूरी है, वह लिपि के कारण है, भाषा के कारण नहीं।

ज्ञान शांति मैत्री